न्यायालय अपर कलक्टर, नागौर

बइजलास – श्री मनोज कुमार, आर0ए0एस0

राजस्व अपील संख्या 183/2018

अपीलान्ट	बनाम	रेस्पोडेन्ट्स
तेजाराम पुत्र दुर्गाराम जाति माली टाक निवासी भाटीपुरा, कृषि मण्डी रोड, कुचेरा तहसील मुण्डवा जिला नागौर।		1दुर्गाराम पुत्र चन्द्राराम जाति माली टाक निवासी भाटीपुरा, कृषि मण्डी रोड, कुचेरा तहसील मुण्डवा जिला नागौर। 2रामकिशोर पुत्र दुर्गाराम जाति माली टाक निवासी बुटाटी रोड, कुचेरा। 3अशोक पुत्र रामकिशोर जाति माली टाक। 4महेन्द्र पुत्र रामकिशोर जाति माली टाक। 5धमेन्द्र पुत्र रामकिशोर जाति माली टाक। 6मुकेश पुत्र रामकिशोर जाति माली टाक। रेस्पोडेन्ट सं. 5 व 6 नाबा. जरिये वली भाई अशोक रेस्पोडेन्ट सं. 3 निवासीगण बुटाटी रोड, कुचेरा। 7तहसीलदार, मुण्डवा जिला नागौर। 8पटवारी कुचेरा तहसील मुण्डवा।

उपस्थिति :–

1. श्री अशोक कुमार वैष्णव अधिवक्ता अपीलान्ट की ओर से।
2. श्री मामराज गुणपाल, अधिवक्ता रेस्पोडेन्ट सं. 1 से 6 की ओर से।
3. श्री ओम प्रकाश पूनिया राजकीय अधिवक्ता रेस्पोडेन्ट 7 व 8 की ओर से।

निर्णय

दिनांक 29.10.2020

{1}–अपीलान्ट ने यह अपील धारा 75 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956 के तहत तहसीलदार, मुण्डवा द्वारा ग्राम कुचेरा के नामान्तरकरण सं. 5994 निर्णय दिनांक 10.06.2018 से असंतुष्ट होकर दिनांक 17.07.2018 को प्रस्तुत की गई है। अपीलान्ट की अपील दिनांक 24.07.2018 को मियाद का बिंदु विचाराधीन रखते हुए दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पोडेन्ट्स को जरिये सम्मन सुनवाई हेतु तलब किया गया। अदालत मातहत का मूल अभिलेख मंगवाया गया। रेस्पोडेन्ट सं. 1 से 6 की ओर से श्री मामराज गुणपाल अधिवक्ता तथा रेस्पोडेन्ट सं. 7 व 8 की ओर से श्री ओम प्रकाश पूनिया राजकीय अधिवक्ता उपस्थित हुए। अपीलांट ने अपनी अपील के समर्थन में नामान्तरकरण सं. 5994 दिनांक 10.06.2018 की फोटोप्रति, न्यायालय सहायक कलक्टर नागौर के प्रकरण सं. 74/12 रामकिशोर बनाम दुर्गाराम के फर्द अहकाम दिनांक 30.11.12 से 28.6.18 की फोटोप्रति तथा न्यायालय सहायक कलक्टर नागौर द्वारा जारी नोटिस दिनांक 4.12.12 की फोटोप्रति तथा वकील रेस्पोडेन्ट द्वारा फौजदारी परिवाद की प्रमाणित प्रति एवं आदेश दिनांक 8.8.18 की प्रमाणित प्रति पेश की गई।

{2}–उभयपक्ष के वकुलाय की बहस सुनी गई। अपीलान्ट के विद्धान अभिभाषक द्वारा मियाद के बिंदु पर बताया गया कि अपीलांट द्वारा उपरोक्त अनवान की एक अपील न्यायालय हाजा मे प्रस्तुत कर दी। जो बहुत ही मजबूत बिनाय पर आधारित होने से अपीलांट को उसमे कामयाबी मिलने का पूरा–पूरा विश्वास है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा नामान्तरकरण आदेश जैर अपील एकपक्षीय रूप से अपीलांट को बिना सुनवाई का अवसर दिये, बिना नोटिस दिये पारित कर दिया। इस कारण अपीलांट को आदेश जैर अपील की समय पर जानकारी नही हो सकी। अभी हाल ही मे जब अपीलांट ने उक्त विवादित खेताय की जमाबंदी की नकले पटवारी से प्राप्त की तब उसमे नामान्तरकरण का उल्लेख किया हुआ था। तब अपीलांट ने तहसील मुण्डवा से दिनांक 11.7.18 को नकले निकलवाई, तब अपीलांट को इस बात की प्रथम बार जानकारी हुई। इससे पूर्व अपीलांट को आदेश जैर अपील की कोई जानकारी नही थी। इस कारण अपीलांट द्वारा अब अपील पेश की गई। चूंकि नामान्तरकरण जैर अपील स्थगन आदेश प्रभावी होने के बावजूद भी अवैध व विधि विरूद्व ढंग से स्वीकृत किया गया है। ऐसी

अपर कलक्टर, नागौर

स्थिति मे ऐसे नामान्तरकरण को कभी भी निरस्त किया जा सकता है। फिर भी न्याय हित मे हुई देरी को माफ करने के लिये उक्त मियाद प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया है। जिसे अंदर मयाद स्वीकार की जाकर सुनवायी की जाकर स्वीकार की जानी आवश्यक एवं न्याय संगत है। मियाद के बिन्दु पर वकील रेस्पोडेन्ट द्वारा कोई विरोध नही किया गया है। अतः अपील अंदर मियाद शुमार की जाती है।

वकील अपीलांट ने आगे अपनी अपील के तथ्यों को दोहराते हुए तर्क दिया कि–

{2}(I)–नामान्तरकरण आदेश जैर अपील विधि विरूद्व तथा साक्ष्य सबूतो के विपरीत मनमाने ढंग से कानूनी प्रावधानो के विपरीत जाकर पारित किया गया होने से निरस्तनीय है।

{2}(II)–विवादित खेताय खसरा नं. 1118 रकबा 24.07 बीघा, खसरा नं. 1065 रकबा 6 बीघा 4 बिस्वा 12 बिस्वांशी वाके ग्राम कुचेरा अपीलांट व रेस्पोडेन्ट सं. 1 से 6 के पुश्तैनी खेताय है, जिसकी खातेदारी पूर्व मे अपीलांट के दादा चन्द्राराम पुत्र चौथराम के नाम से राजस्व रेकर्ड मे दर्ज थी। चन्द्राराम का देहांत दिनांक 25.7.89 को हो चुका है। उनके देहांत के पश्चात उक्त खेताय की खातेदारी अकेले दुर्गाराम अपीलांट के पिता के नाम से दर्ज हो गई। किन्तु उक्त खेताय मे हिन्दू उतराधिकार अधिनियम के अनुसार अपीलांट का जन्म से ही हक हिस्सा निहित करता आया है। इस प्रकार अपीलांट का विवादित खेताय मे 1/3 हक हिस्सा जन्म से ही निहित करता आया है।

{2}(III)–विवादित खेताय बाबत रेस्पोडेन्ट सं. 2 द्वारा अपीलांट व रेस्पोडेन्ट सं. 1 के विरूद्व सहायक कलक्टर (मु.) नागौर के न्यायालय मे बंटवाडा हेतु राजस्व वाद पेश किया हुआ था। जिसके साथ प्रस्तुत 212 आरटीएक्ट के आवेदन मे सहायक कलक्टर (मु.) नागौर द्वारा दिनांक 30.11.12 को विवादित खेताय के मौका एवं राजस्व रेकर्ड की यथास्थिति बनाये रखने बाबत अंतरिम अस्थाई निषेधाज्ञा जारी की गई थी। जिसकी जानकारी तमाम रेस्पोडेन्टस को शुरू से ही रही है। उक्त स्थगन आदेश के बावजूद भी रेस्पोडेन्टस ने आपस मे मिलावट कर उक्त संपूर्ण भूमि का एक बख्शीसनामा दिनांक 5.6.18 को रेस्पोडेन्ट सं. 1 ने रेस्पोडेन्ट सं. 2 व 3 से 6 के पक्ष मे दो अलग अलग बख्शीसनामा दिनांक 5.6.18 व दिनांक 6.6.18 को तहसील मुण्डवा मे निष्पादित व पंजीबद्व करवा दिया एवं इन दोनो बख्शीसनामा के आधार पर रेस्पोडेन्ट सं. 7 व 8 ने रेस्पोडेन्ट सं. 2 व 3 से 6 के नाम नामान्तरकरण सं. 5994 स्वीकृत कर दिया, जबकि राजस्व रेकर्ड की यथास्थिति बाबत सहायक कलक्टर (मु.) नागौर द्वारा स्थगन आदेश पारित किया हुआ था। इस प्रकार रेस्पोडेन्टस ने सहायक कलक्टर (मु.) नागौर द्वारा पारित स्थगन आदेश की अवहेलना करते हुए नामान्तरकरण जैर अपील स्वीकृत किया है। जो पूर्णतया अवैध व विधि विरूद्व होने से निरस्तनीय है।

{2}(IV)–उक्त विवादित भूमि अपीलांट की पुश्तैनी भूमि होने से रेस्पोडेन्ट सं. 1 का इस खेताय मे मात्र 1/3 हक हिस्सा की कानूनन निहित करता है। इसके बावजूद भी रेस्पोडेन्ट सं. 1 ने उक्त संपूर्ण भूमि का बख्शीसनामा रेस्पोडेन्ट सं. 2 व 3 से 6 के हक मे निष्पादित व पंजीबद्व करवा दिया जो दोनो ही बख्शीसनामा अपीलांट के हितो के प्रति प्रारंभ से ही अवैध व शून्य है। ऐसे अवैध व शून्य दस्तावेज के आधार पर जो नामान्तरकरण जैर अपील स्वीकृत किया गया है। वह निरस्तनीय है।

{2}(V)–नामान्तरकरण जैर अपील स्वीकृत करने की रेस्पोडेन्ट सं. 7 को कोई विधिक अधिकार नही था। क्योकि अन्तरण के मामले मे प्रथम 45 दिन तक नामान्तरकरण तस्दीक करने का अधिकार केवल ग्राम पंचायत को विधि अनुसार प्राप्त है। इसके बावजूद भी रेस्पोडेन्ट सं. 7 ने अपने अधिकार क्षेत्र से बाहर जाकर जो नामान्तरकरण जैर अपील स्वीकृत किया है। वह निरस्तनीय है।

{2}(VI)–नामान्तरकरण जैर अपील स्वीकृत किये जाने से पूर्व रेस्पोडेन्ट सं. 7 ने किसी प्रकार की कोई जांच पुश्तैनी अथवा स्वअर्जित सम्पति होने बाबत नही की, न ही अपीलांट को किसी प्रकार का नोटिस दिया, न ही सुनवाई का अवसर दिया एवं बावजूद स्थगन आदेश के अवैध व विधिविरूद्व ढंग से नामान्तरकरण जैर अपील स्वीकृत कर दिया। जो निरस्तनीय है।

{2}(VII)–सहायक कलक्टर (मु.) मे विचाराधीन वाद मे तहसीलदार व उप पंजीयक पक्षकार है तथा स्थगन आदेश दिनांक 30.11.12 को जारी हुआ, वो प्रभावी रहते हुए आदेश जैर अपील से संबंधित कार्यवाही की गई है। न्यायालय द्वारा जारी स्थगन आदेश कभी भी खारिज नही किया गया है। ऐसी स्थिति मे उस आदेश की अवधारणा स्थगन आदेश प्रभावी होना ही मानी जायेगी तथा अपने कथन के समर्थन मे आरबीजे (17) 2010

अपर कलक्टर, नागौर

पेज 510 व राजस्व मंडल के आदेश राम/न्याय/स्था/प–32/07/2020 दिनांक 26.10.20 की ओर हमारा ध्यान दिलाया।

{3}–रेस्पोडेन्ट सं. 1 से 6 के अधिवक्ता ने अपनी बहस शुरू करते हुए बताया कि नामान्तरकरण जैर अपील बख्शीसनामा दिनांक 5.6.18 व 6.6.18 के आधार पर पारित किया गया है। उक्त दिनांक को न्यायालय सहायक कलक्टर (मु.) नागौर द्वारा पारित अस्थायी निषेधाज्ञा दिनांक 30.11.12 प्रभावी नही थी। उक्त आदेश दिनांक 30.11.12 आगामी दिनांक 28.12.12 तक ही प्रभावी रहा है। इसके पश्चात इस आदेश को नही बढाया गया है तथा उक्त बख्शीसनामे को लेकर अपीलांट तेजाराम ने न्यायालय अति. मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट नागौर मे इस्तगासा अधीन धारा 156 (3) सीआरपीसी के तहत प्रस्तुत किया गया था। वो भी न्यायालय के आदेश दिनांक 8.8.2018 के द्वारा उक्त स्थगन आदेश दिनांक 28.12.12 तक ही प्रभावी मानते हुए इस्तगासा खारिज किया गया है। वकील रेस्पोडेन्ट का यह भी तर्क रहा है कि यदि अपीलांट यह मानते है कि स्थगन प्रभावी रहते हुए आदेश जैर अपील जारी हुआ है तो उन्हे सक्षम न्यायालय मे न्यायालय आदेश की अवहेलना की कार्यवाही करनी चाहिये। ऐसी स्थिति मे अपील चलने योग्य नही होने से खारिज की जानी चाहिये।

{4}–राजकीय अधिवक्ता द्वारा बहस शुरू करते हुए तर्क दिया गया कि आदेश जैर अपील पारित करते वक्त न्यायिक स्थगन आदेश प्रभावी हो, ऐसा कोई साक्ष्य नही रहा है तथा बख्शीसनामा दस्तावेज के आधार पर आदेश जैर अपील विधिवित रूप से पारित किया गया है। जो यथावत कायम रखा जाना चाहिये।

{5}–उभय पक्ष के वकुलाय की बहस पर मनन किया। पत्रावली का अवलोकन किया गया। प्रकरण में मौजा कुचेरा के नामान्तरकरण सं. 5994 दिनांक 10.06.2018 की स्वीकृति से असंतुष्ट होकर यह अपील प्रस्तुत की गई है। प्रकरण मे मुख्य बिन्दु यही रहा है कि न्यायालय सहायक कलक्टर (मु.) नागौर द्वारा पारित स्थगन आदेश दिनांक 30.11.12 बख्शीसनामा दिनांक 5.6.18, 6.6.18 को प्रभावी था अथवा नही? इस संबंध मे न्यायालय आदेश दिनांक 30.11.12 के अनुसार मौजा कुचेरा के खसरा नं. 1118 रकबा 24.07 बीघा का प्रार्थी के वेकल्पिक हित तक रेकर्ड व मौके की स्थिति आगामी तारीख पेशी 28.12.12 रखी जाने का आदेश है। इस आदेश को आगे विस्तारित किया गया हो, ऐसा कोई दस्तावेजी सबूत अभिलेख पर नही है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पंजीबद्व दस्तावेज के आधार पर आदेश जैर अपील पारित किया गया है। जिसमे कोई विधिक त्रुटि नही होने से आदेश जैर अपील मे कोई हस्तक्षेप किया जाना उचित प्रतीत नही होता है।

{6}– उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपीलांट की अपील स्वीकार योग्य नही होने से खारिज की जाती है। आदेश जैर अपील यथावत कायम रखा जाता है।

{7}– निर्णय खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(मनोज कुमार)
अपर कलक्टर, नागौर
अपर कलक्टर, नागौर